(73)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3002–एक/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–8–2014 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार महिदपुर जिला उज्जैन, प्रकरण कमांक 14/अ–27/2013–14.

.....

1–वसीम जैदी पिता मकसुदउलहसन
निवासी सिविल लाईन महिदपुर
2–मल्लिका बेवा अब्दुलरसीद खान
3–नदीम खान पिता रसीदखान
4–तनवीर खान पिता रसीदखान
5–फिरोज खान पिता रसीद खान
6–शाजिया खान पिता रसीद खान
समस्त निवासीगण इंदौर बैंक के पास महिदपुर
जिला उज्जैन म0प्र0 ..... आवेदकगण

विरूद्ध

सरवरखान पिता अनवरखान
निवासी महिदपुर द्वारा मुख्त्यारआम जलीलखॉ
पिता अब्दुल रहमान खान पठान
निवासी मोहल्ला मुकेरवाड़ी सारंगपुर जिला राजगढ़

.....अनावेदक

श्री ए0आर0यादव, अभिभाषक– आवेदकगण

श्री सुरेश श्रीवास, अभिभाषक– अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 10/10/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार महिदपुर जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–08–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक की ओर से मुख्त्यार आम जलील खॉ द्वारा तहसीलदार महिदपुर के समक्ष संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत बटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 14/अ–27/2013–14 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर इस आशय की आपत्ति की गई कि अनावेदक की ओर से प्रस्तुत मुख्त्यारनामा विधिवत नहीं है, अतः मुख्त्यारआम की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 13–8–2014 को आदेश पारित कर आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार के समक्ष आवेदकगण द्वारा स्पष्ट किया गया था कि आवेदक की ओर से जो मुख्त्यारनामा प्रस्तुत किया गया है उस पर पर्याप्त मुद्रांक शुल्क अदा नहीं किया गया है इसलिये मुख्त्यारनामा विधिवत नहीं होने से मुख्त्यार आम की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया जाये, परन्तु इस वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् उभयपक्ष को सुनकर मुख्त्यारनामा सही पाते हुये आवेदक की आपत्ति निरस्त की गई है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा मुख्त्यारनामा को संदेह से परे करने के लिये अनावेदक एवं मुख्त्यारनामा को समक्ष में उपस्थित होने के निर्देश दिये गये हैं । इस आधार पर कहा गया कि आवेदकगण की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के समक्ष प्रचलित प्रकरण

को लंबित रखने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के अंतरिम आदेश एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि बाद में पंजीकृत पावर ऑफ अटार्नी पेश कर दी गई है । वैसे तहसील न्यायालय ने पावर ऑफ अटार्नी करने वाले मूल पक्षकार को भी बुलाया है । अतः आवेदक की आपत्ति एक तरह से तहसील न्यायालय ने मान ली है, इसलिये यह निगरानी औचित्यहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी औचित्यहीन होने से निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर